न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या : 09/2023 **GCMS 2023/19**

वादीगण :

छीतर पुत्र नाथू खां के विधिक वारिसान

1. रुकैया उर्फ़ रुकिया पत्नी अब्दुल सत्तार, आयु 66 वर्ष
2. ज़ुल्फ़िकार अली उर्फ़ मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार अली पुत्र अब्दुल सत्तार, आयु45वर्ष
3. अकरम उर्फ़ मोहम्मद अकरम पुत्र अब्दुल सत्तार, आयु35वर्ष
4. शौक़ीन उर्फ़ मोहम्मद शौक़ीन पुत्र अब्दुल सत्तार, आयु33वर्ष
5. गुलशन पत्नी अब्दुल ज़ब्बार, आयु 64 वर्ष
6. अब्दुल शकूर पुत्र अब्दुल ज़ब्बार, आयु 50 वर्ष
7. अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल ज़ब्बार, आयु 39 वर्ष
8. मोहम्मद ईसुफ़ पुत्र अब्दुल ज़ब्बार, आयु 31 वर्ष
9. मोहम्मद हसन पुत्र अब्दुल ज़ब्बार, आयु 28 वर्ष
10. अब्दुल गफ्फार पुत्र छीतर, आयु 64 वर्ष

समस्त जाति धोबी मुस्लिम, निवासी कश्मीरी गेट, गणेश डूंगरी, कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)

वादी-गण संख्या 1 से 9 जरिये मुख्त्यार आम वादी संख्या 10

बनाम

प्रतिवादीगण :

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तह.-कुचामन, जिला नागौर (राजस्थान)
2. पटवारी हल्का ग्राम रूपपुरा-टोरडा, तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)

वाद-पत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
राज. पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी

निर्णय

दिनॉक :– 09/02/2023

वादीगण की से वाद-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी संख्या 1 से 9 अपने घरेलु तथा व्यापारिक कार्यों के चलते अत्याधिक [illegible] संख्या 1 से 9 की ओर से वादी संख्या 10 आम मुख्त्यार अब्दुल गफ्[illegible]या है। वादी संख्या 1 से 9 द्वारा वादी संख्या 10 के पक्ष में मु[illegible]/09/2021 निष्पादि[illegible] गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वादीगण के पूर्वज छितर पुत्र नाथू खां की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम पनवाड़ी पटवार हल्का रूपपुरा टोरडा, तहसील कुचामन की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा संख्या 12 मिनरकबा 18 बीघा 11 बिस्वा स्थित रही है, जिसके द्वितीय भू-प्रबन्ध कार्यवाही सन् 1986-90 की अवधि के दौरान नवीन खसरा संख्या 210 रकबा 3.0000 हेक्टेयर व खसरा संख्या 365/210 रकबा 0.5000 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 3.5000 हेक्टेयर कायम हुए हैं। ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा संख्या 12 मे रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर कब्ज़ा काश्त वादीगण के पूर्वज छितर पुत्र नाथू खां कौम धोबी मुसलमान की सम्वत् 2010 से थी परन्तु वादीगण के पूर्वज छितर पुत्र नाथू खां के नाम भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा उक्त खसरा में उक्त रकबा की खातेदारी छितर पुत्र नाथू खां कौम धोबी के नाम दर्ज नहीं किये जाने पर छितर पुत्र नाथू खां द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 144/1976 श्रीमान सहायक जिलाधीश परबतसर के न्यायालय में दायर किया गया था। न्यायालय श्रीमान सहायक जिलाधीश परबतसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 144/1976 में दिनांक 12/01/1978 को ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा संख्या 12 मे रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वज छितर पुत्र नाथू खां का कब्जा बर-वक़्त जागीर से मानते हुए वाद डिक्री किया गया एवं उक्त डिक्री निर्णय दिनांक 12/01/1978 की पालना में तहसीलदार नावां द्वारा मौक़ा निरिक्षण कर उक्त भूमि पर छितर पुत्र नाथू खां का कब्जा काश्त होने से दिनांक 30/08/1978 को छितर पुत्र नाथू खां के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। छितर पुत्र नाथू खां का स्वर्गास हो चुका है तथा वादीगण छितर पुत्र नाथू खां के विधिक वारिसान हैं तथा वादीगण उक्त भूमि का निरन्तर उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं। नवीन भू-प्रबन्ध पश्चात गत खसरा संख्या 12 मि. के नवीन खसरा संख्या नवीन खसरा संख्या 210 व खसरा संख्या 365/210 कायम किये जाकर वादीगण के पूर्वज के पक्ष में पर्चा लगान जारी कर दिया गया, तदनुसार भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गयी मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2046 से 2065 में भी उक्त खसरान की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज हो गयी। खातेदारी तो पूर्ववत् वादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज हुयी। तत्पश्चात आज दिनांक तक वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर निर्बाध रूप से शान्तिपूर्वक काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं। दिनांक 01/01/2023 को पटवारी हल्का से खातेदारी भूमि का नाप-चौक कर सीमा ज्ञान हेतु आवेदन किया गया तो पटवारी हल्का ने अवगत करवाया की *"यह भूमि तो [illegible] आपको सीमा ज्ञान नहीं करवाया जा*

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सकता है, आपको इस भूमि पर से कब्जा हटाना पड़ेगा अन्यथा राजस्व विभाग द्वारा आपके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही कर कब्जा हटाया जाएगा।" तत्पश्चात पटवारी हल्का तहसील कार्यालय जिला कार्यालय से वांछित नकलें आदि प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पनवाड़ी के नामान्तरकरण संख्या 140 दिनांक 05/02/2003 के द्वाराखसरा संख्या 210 रकबा 3.0000 हेक्टेयर व खसरा संख्या 365/210 रकबा 0.5000 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 3.5000 हेक्टेयर में वादीगण का नाम हटा कर सीलिंग में प्राप्त सिवाय चक दर्ज कर दी गयी। ग्राम पनवाड़ी के नामान्तरकरण संख्या 140 दिनांक 05/02/2003 द्वारा गलत रूप से मन-मर्जी पूर्वक वादीगण की ख़ातेदारी भूमि को वादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना वादीगण की गैर मौजूदगी में राजकीय दर्ज कर दी गयी जबकि सीलिंग प्रकरण में ना तो वादीगण (Assessee) निर्धारित है ना ही सीलिंग प्रकरण में पक्षकार रहे हैं एवं ना ही वादीगण की भूमि सीलिंग से प्रभावित भूमि रही है। वादीगण की विधिपूर्वक दर्ज शुदा खातेदारी भूमि को अविधिपूर्वक खातेदारी से नाम हटाकर राजकीय दर्ज कर दी गयी जबकि वादीगण के पूर्वज ने भूमि विधिवत खरीद कर 50 वर्षों से भी अधिक समय से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करती आ रहे हैं तथा खरीद के बाद से भूमि सुधार हेतु इस भूमि पर लाखों रुपये खर्च कर उपजाऊ बनाया है, जबकि तथाकथित सीलिंग प्रकरण में ना तो वादीगण पक्षकार रहे है और ना ही निर्धारिती रहे हैं तथा वादीगण को कभी भी कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। वादीगण की सुनवाई किये बिना ही वादीगण के जायज अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए वादीगण की खातेदारी के अंकन को समाप्त कर दिया जो वादीगण के जायज अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य है। वादीगण उक्त खसरा संख्या 210 रकबा 3.0000 हेक्टेयर व खसरा संख्या 365/210 रकबा 0.5000 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 3.5000 हेक्टेयर की पुनः खातेदारी दर्ज करवाने के हक़दार हैं। प्रतिवादी संख्या 2 पटवारी हल्का ग्राम रूपपुरा-टोरडा द्वारा दिनांक 01/01/2023 से निरन्तर वादीगण को कब्जा हटाने व बेदख़ली की धमकी दी जा रही है कि इस राजकीय दर्ज भूमि से राजस्व विभाग के प्रतिनिधिगण द्वारा कब्जा हटाने की व बेदखली की कार्यवाही की जावेगी जबकि कदीमी जायज़ कब्ज़ा वादीगण का है जिसके फलस्वरूप वादीगण प्रतिवादीसंख्या 1 तथा 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के हक़दार हैं। विनाय दावा दिनांक 01/12/2022 को प्रतिवादी संख्या 2 पटवारी हल्का ग्राम रूपपुरा-टोरडा द्वारा उक्त भूमि का नाप-

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

चौक तथा सीमा-ज्ञान करने से इनकार करने पर व रिकॉर्ड में हुए नामान्तरकरण की जानकारी देने पर दिनांक 05/01/2022 को जिला अभिलेखागार नागौर से आवश्यक नकलें प्राप्त करने पर प्रतिवादी संख्या 2 पटवारी हल्का ग्राम रूपपुरा-टोरडा द्वाराउक्त भूमि को सरकारी भूमि मानकर वादीगण की बेदखली करवाने की धमकी दिए जाने पर ब-मुकामग्राम पनवाड़ी तहसील कुचामन सिटी उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से व प्रतिवादी संख्या 2 स्थानीय पटवारी हल्का होने व उनके द्वारा बेदखली की धमकी दिए जाने से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी संयोजित किये गए हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा 2 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरुद्ध वाद लाने से पूर्व दीवानी प्रकिया संहिता-1908 की धारा 80(1) के अधीन 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परन्तु वादीगण का वाद अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है ,नोटिस की अवधि के दौरान प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 2 द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में से बेदखल कर दिया गया तो वादीगण का वाद लाने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा 2 के विरुद्ध बिना दीवानी प्रकिया संहिता-1908 की धारा 80(1) के नोटिस दिए वाद लाने की अनुमति प्राप्त कर उसी अनुमति के तहत यह वाद पेश किया है। **वादीगण की इस्तदुआ है कि :–** ग्राम पनवाड़ी के खसरा संख्या 210 रकबा 3.0000 हेक्टेयर व खसरा संख्या 365/210 रकबा 0.5000 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 3.5000 हेक्टेयर के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इस आशय के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री बहक वादीगण 1 एवं 2 सादिर फरमाई जावे। उक्त खसरा संख्या 210 तथा 365/210 के बाबत नामान्तरकरण संख्या 140 दिनांक 05/02/2003 के द्वारा वादीगण के विरुद्ध की गयी प्रविष्टि व तत्पश्चात् की जमाबंदी में हुए वादीगण के खातेदारी अधिकारों के सरकारी इन्द्राज को वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जावे तथा वादीगण के नाम पुनः खातेदारी तमाम रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार कुचामन सिटी को फरमाए जावें। उक्त खसरा संख्या 210 तथा 365/210 वाके पनवाड़ी पर वादीगण के कब्जा काश्त व अधिकारों में किसी भी प्रकार का दखल ना तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं डाले और ना ही अपने एजेंट या प्रतिनिधियों से डलवाए इस आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर हुआ, प्रतिवादीगण को समन तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ, प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम पनवाड़ी के नामान्तरकरण सं. 140 दिनॉक 05.02.2003 विधिवत न्यायालय अपर कलक्टर नागौर के सींलिग प्रकरण में पारित आदेश अनुसार दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है जिसके द्वारा वादधीन भूमि सिवाय चक दर्ज हुई है। सीलिंग प्रकरण में वादी ना तो पक्षकार था व ना ही निर्धारिती था परन्तु सीलिंग कार्यवाही में वादीगण को कानूनन सुनवाई के प्रावधान नही है। राजकीय भूमि पर से अतिक्रमी को विधिवत प्रक्रिया अनुसार बेदखली के प्रावधान है। वादपत्र के द्वारा वांछित अनुतोष अस्वीकार फरमाया जाकर वाद वादीगण खारिज फरमाया जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से सहायक जिलाधीश परबतस के वाद सं. 144/76 छीतर पुत्र नाथू खॉ धोबी कुचामन बनाम प्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह राजा साहिब कुचामन में पारित निर्णय 12.07.1978 की छाया प्रति, पनवाड़ की नामान्तरकरण सं. 84 की छाया प्रति,, पर्चा लगान की छाया प्रति, जमाबंदी नकल सम्वत 2052–2055, मिलान क्षेत्रफल की नकल, मुख्त्यारनामा की छाया प्रति प्रस्तुत की। प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त जवाब दावा एवं वाद में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर निम्न प्रकार से तनकियात कायम की गई :–

तनकियात

1. आया वादीगण ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 210 रकबा 3.00 हैक्टर खसरा नम्बर 345/210 रकबा 0.50 हैक्टर के बाबत नामान्तरकरण सं. 140 दिनॉक 05.02.2003 के द्वारा वादीगण के विरूद्व की गई प्रविष्टि व तत्पश्चात की जमाबंदी में हुए वादीगण के खातेदारी अधिकारों के सरकारी इन्द्राज को वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य घोषित कराये जाने के वादीगण मुश्तहक है ?

जिम्मे वादीगण

2. आया प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का जरिये नामा. सं. 140/05.02.2003 अनुसार विधिवत न्यायालय अपर कलक्टर महोदय नागौर के सीलिंग प्रकरण में पारित आदेश अनुसार दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है जिसके द्वारा वादाधीन भूमि सिवाय चक दर्ज हुई है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र काबिल खारिज होने से खारिज फरमाया जावे ?

जिम्मे प्रति. 1

3.अनुतोष ।

मौखिक साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मौखिक साक्ष्य में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई, वादीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पुनः उनकी खातेदारी में दर्ज किये जाने का कथन किया है। प्रतिवादी सं. 1 राज पैरोकार तहसीलदार कुचामन ने वाद खारिज किये जाने का कथन किया है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार निम्नवत है :–

तनकी सं. 1– उक्त तनकी संख्या एक का साबित करने का भार वादीगण पर रहा। जिन्होने अपने समर्थन में जमाबंदी नकले, नामा की नकले प्रस्तुत की। मिलान क्षेत्रफल ग्राम पनवाड़ी की प्रति अनुसार पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 210 रकबा 3.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 345/210 रकबा 0.50 हैक्टर कुल रकबा 3.50 हैक्टर में छीतर पुत्र नाथू कौम धोबी सा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कुचामन दर्ज रहा है, पर्चा लगान अनुसार छीतरमल पुत्र नाथू कौम धोबी साकिन कुचामनसिटी सिटी दर्ज है। जमाबंदी नकल सम्वत 2052–2055 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 210 रकबा 3.00 हैक्टर बारानी द्वितीय खसरा नम्बर 345/210 रकबा 0.50 हैक्टर बारानी द्वितीय कुल रकबा 3.50 हैक्टर में छीतरमल पुत्र नाथूराम कौम धोबी सा. कुचामन खातेदार नोट :– नामा. सं. 103 दिनॉक 30.01.1998 (विरासत) के द्वारा रूकैया बेवा अब्दुल सत्तार जुल्फीकार अली पुत्र अब्दुल सतार नाबालिक अकरम, शोकिन पि. अब्दुल सतार कुदरती वली रूकैया बेवा अब्दुल सतार 1/3 अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफार पि. छीतरमल 2/3 कौम धोबी सा. कुचामन खातेदार दर्ज किया गया। उपरोक्त सर्म्पूण विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि रही है तथा कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है, माननीय न्यायालय अपर कलक्टर महोदय नागौर के निर्णय की पालना में पक्षकार रूकैया बेवा अब्दुल सत्तार जुल्फीकार अली पुत्र अब्दुल सतार नाबालिक अकरम, शोकिन पि. अब्दुल सतार कुदरती वली रूकैया बेवा अब्दुल सतार अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफार पि. छीतरमल कौम धोबी सा. कुचामन को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर भूमि को सीलिंग के अन्तर्गत मानते हुए सरकार के खाते में दर्ज जरिये नामान्तरकरण सं. 140/05.02.2003 के द्वारा दर्ज कर दी गई। उपरोक्त भूमि को पुनः वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। रूकैया बेवा अब्दुल सत्तार जुल्फीकार अली उर्फ मोहम्मद जुल्फिकार अली पुत्र अब्दुल सतार, अकरम उर्फ मोहम्मद अकरम पुत्र अब्दुल सतार शौकीन उर्फ शौकीन पि. अब्दुल सतार, गुलशन पत्नी अब्दुल जब्बार, अब्दुल शकूर, अब्दुल हमीद, मोहम्मद इसुफ, मोहम्मद हसन पुत्र अब्दुल जब्बार अब्दुल गफ्फार पुत्र छीतर कौम धोबी मुस्लिम सा. कुचामन के नाम भूमि दर्ज होनी है। जो वाद में वादीगण पक्षकारान है जिनके नाम खातेदारी दर्ज की जानी है। उपरोक्त राजस्व रेकार्ड, नामान्तरकरण नकलो, साक्ष्य सबूतो अनुसार वाद वादीगण साबित है। इसलिए तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2– को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर रहा। जिन्होने केवल जवाब दावा प्रस्तुत किया है। अन्य किसी प्रकार का मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। ऐसे किसी भी दस्तावेज से राजकीय भूमि दर्ज रहने के सबूत उपलब्ध नही है। जबकि वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी कब्जा सुदा भूमि दर्ज चली आई है तथा माननीय अपर कलक्टर नागौर के आदेश अनुसार भूमि को सीलिंग की मानते हुए राजकीय दर्ज की गई, जिसमें पक्षकारान वादीगण को समुचित सुनवाई नही दिया गया है, तथा समस्त प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड इत्यादि वादीगण के पक्ष में साबित है। अतः तनकी सं. 2 के विरूद्व एवं वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3 अनुतोष :– उपरोक्त तनकी सं. 1 एवं 2 वादीगण के पक्ष निर्णित की गई है। अतः प्रकरण के विवेचन से साबित है कि वाद वादीगण साबित करने में सफल रहे है। अतः वाद वादीगण काबिल डिक्री योग्य पाया गया।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

वाद डिक्री कर घोषणा की जाती है, ग्राम पन[illegible]वार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 210 [illegible] 345/210 रकबा 0.50 हैक्टर कुल रकबा 3.50 हैक्टर भूमि में [illegible] काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दरामद कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करे, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

आदेश आज दिनॉक 09/02/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 09/2023 **GCMS 2023/19**

वादीगण :

छीतर पुत्र नाथू खां के विधिक वारिसान

1. रुकैया उर्फ़ रुकिया पत्नी अब्दुल सत्तार, आयु 66 वर्ष
2. ज़ुल्फ़िकार अली उर्फ़ मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार अली पुत्र अब्दुल सत्तार, आयु45वर्ष
3. अकरम उर्फ़ मोहम्मद अकरम पुत्र अब्दुल सत्तार, आयु35वर्ष
4. शौक़ीन उर्फ़ मोहम्मद शौक़ीन पुत्र अब्दुल सत्तार, आयु33वर्ष
5. गुलशन पत्नी अब्दुल ज़ब्बार, आयु 64 वर्ष
6. अब्दुल शकूर पुत्र अब्दुल ज़ब्बार, आयु 50 वर्ष
7. अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल ज़ब्बार, आयु 39 वर्ष
8. मोहम्मद ईसुफ़ पुत्र अब्दुल ज़ब्बार, आयु 31 वर्ष
9. मोहम्मद हसन पुत्र अब्दुल ज़ब्बार, आयु 28 वर्ष
10. अब्दुल गफ्फार पुत्र छीतर, आयु 64 वर्ष

समस्त जाति धोबी मुस्लिम, निवासी कश्मीरी गेट, गणेश डूंगरी, कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)

वादी-गण संख्या 1 से 9 जरिये मुख्त्यार आम वादी संख्या 10

बनाम

प्रतिवादीगण :

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तह.-कुचामन, जिला नागौर (राजस्थान)
2. पटवारी हल्का ग्राम रूपपुरा-टोरडा, तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)

वाद-पत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी मिनजानिब मुदई रू–बरू राजकीय पैरोकार प्रति. सं. 1 मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद डिक्री कर घोषणा की जाती है, ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 210 रकबा 3.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 345/210 रकबा 0.50 हैक्टर कुल रकबा 3.50 हैक्टर भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करे, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक .... माह .... सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर) दस्तखत.......................................

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested